

-03-

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (जिला बदर) वाद संख्या-69/2022

राज्य बनाम् बिरचन्द माँझी

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

20.12.2022

--: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का पत्रांक-402/डी०सी०बी०, दिनांक-21.10.2022 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी बिरचन्द माँझी उम्र-27 वर्ष पे०-रसिकलाल माँझी, सा०-टोला पिपराजरा, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अध्याय-02 की धारा-3(3)(क) के तहत जिला निष्कासन करने से संबंधित प्रस्ताव अनुशांसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये दलील एवं कारण पृच्छा में कोई ऐसा ठोस आधार नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षी असामाजिक तत्व की श्रेणी में नहीं आते है। अभियुक्त के विरुद्ध व्यावसायियों, उद्यमियों, संवेदकों, दुकानदारों आदि से रंगदारी एवं हत्या हेतु अपहरण करने जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास करने जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. गोला थाना काण्ड संख्या-42/2021, दिनांक-01.04.2021 धारा-147/148/149/341/323/307/427/504, भा०द०वि०।
2. गोला थाना काण्ड संख्या-57/2021, दिनांक-05.05.2021 धारा-364 (ए)/323/504/506/120बी/34, भा०द०वि०।
3. गोला थाना काण्ड संख्या-64/2021, दिनांक-02.06.2021 धारा-399/402/414, भा०द०वि० एवं (1-बी) ए/26(2)/35 आर्म्स एक्ट।
4. रजरप्पा थाना काण्ड संख्या-112/2019, दिनांक-17.07.2019 धारा-364/384, भा०द०वि० एवं 17 स०एल०ए० एक्ट।

५

5. महुआटॉड (बोकारो) थाना काण्ड संख्या-20/2020, दिनांक-30.05.2020 धारा-147/148/149/384/385/364/(ए)/341/504/506/379, भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

उक्त अपराधिक इतिहास स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई संगीन मामले दर्ज हैं। अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि-व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधकर्मी बिरचन्द माँझी उम्र-27 वर्ष पे०-रसिकलाल माँझी, सा०-टोला पिपराजरा, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अध्याय-02 की धारा-3(3)(क) के तहत निम्न आदेश दिया जाता है :-

1. अभियुक्त को 06 (छः) महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासन (जिला बदर) का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिले की सीमा को छोड़ देगे एवं 06 (छः) माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं करेंगे।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

यह आदेश तत्काल से लागु समझा जाय। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

साधुगिथ्रा

20.12.2022

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।